



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0अॉ0-माजरा, देहरादून-248171
PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

1. आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमों के "प्रारूप" जारी किये गये हैं, जो कि आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर अपलोड किये गये हैं:-
 - (i) प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 [Draft Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access) (First Amendment) Regulations, 2016]
 - (ii) प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 [Draft Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2016]
 - (iii) प्रारूप उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं सम्बद्ध मामले) विनियम, 2016 [Draft Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2016]
2. उक्त प्रारूप विनियम क्रम सं0 (ii) एवं (iii) पर सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव/आपत्तियाँ/प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने हेतु दिनांक 30.09.2016 तक तिथि निर्धारित की गयी है।
3. आयोग द्वारा उपरोक्त समस्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में कार्यालय के उपरोक्त पते पर दिनांक 04.10.2016 को पूर्वाह्न 11:30 बजे जन-सुनवाई आहूत की गई है। यदि कोई भी व्यक्ति, उपरोक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में अपने मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, तो वे उक्त निर्धारित जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपना मत आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।